मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक /9188/MGNREGS/NR-3/2016 भोपाल,दिनांक 18/09/2016

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
जिला पंचायत–समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किये जाने बाबत्।

सन्दर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक 9874/2015, भोपाल दिनांक 31.10.2015 एवं 2285/MGNREGS-MP/NR-3/16 दिनांक 04.03.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व की योजनाओं (निर्मल भारत अभियान को छोड़कर) में जो शौचालय बनाये गये हैं एवं वर्तमान में अनुपयोगी व जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं, उन शौचालयों को तथा उन हितग्राहियों के जो स्वच्छ भारत मिशन में सम्मिलित नहीं हैं, के शौचालय नहीं होने के कारण ग्रामों को ODF किये जाने में कठिनाई हो रही है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के हितग्राहियों के शौचालयों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से निर्माण किये जाने के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा की चतुर्थ बैठक में निर्णय लिया गया है।

अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत उक्त प्रकार के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है :

1. स्वच्छ भारत मिशन में जो घर शौचालय की प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र नहीं हैं किन्तु महात्मा गाँधी नरेगा के प्रावधानों के अंतर्गत हितग्राहीमूलक लाभ के लिए पात्र हैं, उन्हें महात्मा गाँधी नरेगा के तहत शौचालय हेतु लाभ दिया जा सकता है।

2. शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही होगा। यदि किसी हितग्राही को पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत शौचालय हेतु लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान में वह शौचालय अनुपयोगी पाया गया है तो पूर्व में प्रदाय राशि को 12000/-- से कम करते हुए शेष राशि की सीमा में आवश्यक स्वीकृति दी जा सकेगी ताकि शौचालय उपयोगी बन सकें।

3. उक्त शौचालयों के निर्माण/सुधार हेतु मजदूरी एवं सामग्री की राशि सीधे हितग्राहियों को ही दी जावेगी।

4. एक घर –एक शौचालय सिद्धांत का पालन सुनिश्चित किया जाए। दोहरीकरण न हो इस हेतु विशेष ध्यान रखा जाये।

5. उपरोक्त सुविधा जिला स्तर से निर्धारित ऐसे ग्राम पंचायत में ही दी जाए जहां ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक हो।

(नीलम शमी राव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0 क्रमांक / 9189 / MGNREGS/NR-3/2016 भोपाल,दिनांक 18 / 09 / 2016

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. माननीय राज्य मंत्री , मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव,म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, सतपुड़ा भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश, विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन,भोपाल।
6. संभाग आयुक्त (समस्त संभाग) की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त आयुक्त समन्वय विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग